

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
19-03/19	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक बागुन बोदरा, पिता स्व0 सिकुर बोदरा ग्राम तमाडबॉध थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाडबॉध, थाना नं0- 125, के अन्दर खाता नं0- 9, प्लॉट नं0- 125, रकवा- 0.09 एकड़ भूमि क्रेता फुलकुमारी बिरुवा, पिता-सुशील कुमार बिरुवा, ग्राम-बड़ा जयपुर, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के दादा के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-155 दिनांक- 21.2.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु अन्य धरेलु कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता फुलकुमारी बिरुवा, पिता-सुशील कुमार बिरुवा, ग्राम-बड़ा जयपुर, थाना- मुफसिल के पास 10,44,000.00/- (दस लाख चौवालीस हजार) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता बागुन बोदरा, पिता स्व0 सिकुर बोदरा ग्राम तमाडबॉध थाना- मुफसिल, क्रेता फुलकुमारी बिरुवा, पिता-सुशील कुमार बिरुवा, ग्राम-बड़ा जयपुर थाना- मुफसिल के पास जमीन को कुल 10,44,000.00/- (दस लाख चौवालीस हजार) में मौजा- तमाडबॉध, थाना नं0- 125, के अन्दर खाता नं0- 9, प्लॉट नं0- 125 रकवा- 0.09 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	